

विकास आयुक्त का कार्यालय  
(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)  
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय  
(भारत सरकार)

निर्माण भवन, सातवीं मंजिल, मौलाना आजाद रोड,  
नई दिल्ली-110 108



**MSME**  
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES  
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER  
(MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES)  
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES  
GOVERNMENT OF INDIA  
Nirman Bhawan, 7<sup>th</sup> Floor, Maulana Azad Road,  
New Delhi - 110 108

Ph.EPABX - 23062800, 23063802 23063803 FAX - (01-11) 23062215, 23061726, 23061068, e-mail - ccmsmahq@nb.nic.in

No. 5(2)2014 MSME POL

Dated 06.01.2015

विषय:- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की परिभाषा में पुर्व व्यापी दिनांक से संसोधन बाबत ।

उपरोक्त विषय पर अपने कार्यालय के पत्र संख्या एफ.15(6)आयु.उ./ईएम.अनु./  
अलवर/2007 दिनांक 20.8.10.2014 का संदर्भ ले।

2 इस सम्बंध में इस कार्यालय द्वारा आवश्यक स्पष्टिकरण कार्यालय जिला उद्योग केंद्र, अलवर  
को पत्र दिनांक 05.12.2014 द्वारा जारी किया जा चुका है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक  
05.12.2014 की एक प्रति आपके सुचनार्थ संलग्न है।

संलग्न: यथोक्त

ओ.पी.मेहता / 6.1.15  
(डा. ओ पी मेहता)  
निदेशक (नीति)

संयुक्त निदेशक, उद्योग,  
कार्यालय आयुक्त उद्योग,  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग,  
जयपुर - 302005



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

ई-मेल: 'indrajfo7@rajasthan.gov.in, फैक्स नं.: 0141-2227516/5106748


फोन नं. 0141-2227727-34, 2227630-34, 2227823-34 (पी.बी.एक्स)

क्रमांक : एफ.15(6)आयु.उ./ईएम. अनु./अलवर/2007

दिनांक : 3-2-2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, समस्त।
2. सहायक निदेशक/जिला उद्योग अधिकारी, जिला उद्योग उप केंद्र, समस्त।
3. रक्षित पत्रावली (ई.एम.)

  
(अविन्द्र लढढा)  
संयुक्त निदेशक, उद्योग

विकास आयुक्त का कार्यालय  
(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)  
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय  
(भारत सरकार)

निर्याण भवन, सातवीं मंजिल, मौलाना आजाद रोड,  
नई दिल्ली-110 103



संयुक्त प्रतीक



MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES  
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER  
(MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES)  
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES  
GOVERNMENT OF INDIA

Nirman Bhawan, 7<sup>th</sup> Floor, Maulana Azad Road,  
New Delhi - 110 103

Ph.EPABX - 23062800, 23063892 23063803 FAX - (91-11) 23062215, 23061726, 23061068, e-mail - ccsmahq@nb.nic.in


No. 5(2)2014 MSME POL

Dated 05.12.2014


विषय:- एम एस एम ई डी एक्ट-2006 के तहत उत्पादक इकाइयों की परिभाषा के संबंध में-

उपरोक्त विषय पर अपने कार्यालय के पत्र संख्या 4256 दिनांक 8.10.2014 का संदर्भ ले।

2. इस संबंध में कहना है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषा एम एस एम ई डी एक्ट-2006 की धारा 2(h), (m) & (g) में दी गई है जो कि एम एस एम ई डी एक्ट-2006 की धारा 7(1) के अनुसार होगी। अतः सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम उत्पादक इकाई की परिभाषा एम एस एम ई डी एक्ट-2006 की धारा 7(1) के खंड (clauses) (a) (i),(ii) & (iii) के अनुसार होगी जैसा कि धारा 2(h), (m) & (g) में दी गई है। एम एस एम ई डी एक्ट-2006 की धारा 2(e) केवल 'उद्यम' शब्द को परिभाषित करता है। जबकि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की परिभाषा एम एस एम ई डी एक्ट-2006 की धारा 2(h), (m) & (g) में दी गई है।

  
(डा. ओ पी मेहता)  
निदेशक (नीति)

सेवा में,  
महाप्रबंधक,  
जिला उद्योग केंद्र,  
अलवर, राजस्थान,

  
जि. सिंघ  
1/12